फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

बंशी बनाम जगदीश वगै०

केस संख्या : प्रा.पत्र 84/2025

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही		विशेष विवरण
	4/8/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी रो.सी. स्लीप व टेक पेश करें। पत्रावली दिनांक 8/8/25 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	8/8/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1, 2 अनुपस्थित है अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी संख्या-3 की ओर से श्री नरेन्द्र मतरावला ने वकालतनामा पेश किया तथा जाहिर किया कि वह जवाब पेश नहीं करना चाहते है अतः उभय पक्ष की बहस प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गई। प्रार्थी ने जाहिर किया कि अप्रार्थी-1 विवादित आराजी का बंटवारा करवाने से इन्कार कर दिया है तथा विवादित आराजी का बेचान व खुर्द-बुर्द करने पर उतारू है अतः अप्रार्थी-1 को पाबंद किया जावे। अप्रार्थी-3 ने आपत्ति की। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया [illegible] को रोकने एवं प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति, एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष साबित होने से उभयपक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वाके	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:16:51 IST
Reason: SelfAttested

ACM आमेर जि. जयपुर

फर्द अहकाम

बंशी बनाम जगदीश

नाम न्यायालय

केस संख्या 84/25 TR

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष
		ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील जालसू के ख०न०- 396 रकबा 1.2800 हैक्टेयर, 121 रकबा 2.2600 हैक्टेयर, 127/25 रकबा 0.28 है०, 128 रकबा 1.23 है०, में मूलवाद के निस्तारण तक मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:16:51 IST
Reason: SelfAttested